

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर**  
**“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर**

(दूरभाष नं.:— 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ई मेल:— jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(डी-11579 / 2013) / अलेसे-गा / ३६७

दिनांक :— २४-०३-२०२१

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र.सं.	लिंक नं.	नाम क. लेखाकार (श्री / श्रीमती / सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	11579	देवराज गौड़	UGC (NET-2021)	NTA	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :—

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा / व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

+  
 (सर्वेश कुमार तिवाड़ी)  
 निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(डी-11579 / 2013) / अलेसे-गा / ३६७

दिनांक :— २४-३-२०२१

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संबंधित विभाग / कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शिल्पी कौशिक)  
 अतिरिक्त निदेशक कार्मिक-गा